संख्या:317/2016/1280/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
बाँदा/सम्भल/बहराइच/
शामली/अमरोहा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 सितम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य की शासनादेश संख्या-55(1)/35-4-2014 दिनांक 08 जनवरी,2014 के द्वारा रू. 9152.055 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 4576.030 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। निम्नलिखित जनपदों द्वारा सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नलिखित जनपदों को उनके सामने इंगित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 240.384 लाख (रूपये दो करोड़ चालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	जनपद	प्राप्त सन्दर्भ संख्या एवं दिनांक	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	बाँदा	पत्र संख्या-991/त्व0आ0वि0यो0/2015-16 दिनांक 10 मार्च,2016	94.900	47.450	47.450
2	सम्भल	पत्र संख्या-2564/उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2014	72.675	36.338	36.337
3	बहराइच	पत्र संख्या-155/नागर-2/033-0080/16 दिनांक 27 जुलाई, 2016	136.570	68.285	68.285
4	शामली	पत्र संख्या-155/नागर-2/033-0080/16 दिनांक 27 जुलाई, 2016	79.725	39.863	39.862
5	अमरोहा	पत्र संख्या-1047/उपयोगिता प्रमाणपत्र/ 07 दिनांक 31 मार्च, 2015	96.900	48.450	48.450
		योग	**480.770**	**240.386**	**240.384**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 जनवरी,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघरमें नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:317/2016/1280(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/कृषि/नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, चित्रकूट/मुरादाबाद/देवीपाटन/आजमगढ़/सहारनपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी,बाँदा/सम्भल/बहराइच/शामली/अमरोहा।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी,बाँदा/सम्भल/बहराइच/शामली/अमरोहा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,बाँदा/सम्भल/बहराइच/शामली/अमरोहा।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in